APP-A
Crime-1

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

श्री नानुलाल परमार पिता लालजी परमार जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा	**बनाम**	श्री मणीलाल खराडी पिता कचरू खराडी जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी

किस्म मुकदमा :– अन्तर्गत धारा 212 आर टी. एक्ट.।

प्रकरण संख्याः 2021 / 107

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
09.06..2021	पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री नानुलाल परमार पिता लालजी परमार जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा द्वार अप्रार्थीगण श्री मणीलाल खराडी पिता कचरू खराडी जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी के विरूद्व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.7.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गढी	
15.7.21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी का सम्मन कार्य तामील प्राप्त हुआ। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी अभिभाषक द्वारा Not Press कर अपने मुख्य अभिवाद किये गये। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्टेज पर स्टेप की जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है।	नोट पेश Pl.

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.04 17:38:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner